न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 20 / 2020

अपीलार्थी–	***बनाम***	**उत्तरदाता–**
हनुमानसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति जाट निवासी नांद तहसील व जिला बाड़मेर		तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.07.2020 जो प्रकरण सं. 52 / 2020 सरकार बनाम हनुमानसिंह में तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सम्पतराज बोथरा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से अनुपस्थित।
2. श्री रतनाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पा0 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 01.09.2021

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 52 / 2020 सरकार बनाम हनुमानसिंह में पारित निर्णय दिनांक 31.07.20 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि पटवारी हल्का नांद द्वारा तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा नांद के खसरा नम्बर 714 / 500 रकबा 02–02 बीघा किस्म गैर मुमकीन ओरण भूमि में से 0–06 बीघा पर गैर सायल हनुमानसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति जाट निवासी महादेवनगर द्वारा [illegible] नींव बनाकर कर अतिक्रमण कर लिया है जो अवैध है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावें। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम दर्ज कर गैर सायल को

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:20 IST
Reason: SelfAttested

जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। गैर सायल को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए तहसीलदार बाड़मेर द्वारा गैर सायल को मुतनाजा भूमि पर अवैध कब्जा करने के लिए अतिक्रमी घोषित कर निर्णय दिनांक **31.07.2020** के द्वारा **01/–** रूपये जुर्माना अधिरोपित कर भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये समन तलब किया एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली मंगवाई जाकर अवलोकन किया।

4. अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के अधिवक्तागण की बहस सुनी। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। अपीलाधीन भूखण्ड पर अपीलान्ट का 50 वर्षों से निरन्तर कब्जा एवं रहवास चला आ रहा है तथा अपीलाधीन भूखण्ड गैर मुमकिन ओरण न होकर आबादी की भूमि है। विवादित भूखण्ड ग्राम पंचायत नांद की आबादी भूमि के खसरा नंबर 707 / 237 में आया हुआ है जिस पर लोगों के रहवासी मकान एवं परिसर बने हुए हैं। अपीलकर्ता ग्राम की आबादी भूमि में पिछले करीबन 50 वर्षों से बसा हुआ है जहां पर उनका पक्का आवासीय मकान बना हुआ है तथा आगे तीन दुकानें निर्मित है जिसमें अपीलकर्ता के नाम से विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। हल्का पटवारी द्वारा अपीलाधीन भूखण्ड पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व अपीलांट के परिसर का मौका देखे बिना ही अपने कार्यालय में बैठकर मनमाफिक तरीके से आवेदन पत्र के साथ मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया जिसमें मौका फर्द भी संलग्न नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय में जवाब [illegible] करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो मौका रिपोर्ट तलब की गई और न ही किसी प्रकार की साक्ष्य ली गई। अपीलकर्ता को समुचित साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आनन–फानन में राजनैतिक दबाव के चलते अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि विवादित भूखण्ड खसरा नम्बर 707 / 237 गैर मुमकीन आबादी भूमि में आया हैं जिसके पास लगता हुआ आम रास्ता हैं। हल्का पटवारी द्वारा आबादी भूमि का नक्शा दिनांक 09.09.2015 को जारी किया गया था जिससे स्पष्ट हैं कि खसरा नम्बर 707 / 237 एवं 760 / 237 के बीच में आम रास्ता चलता हैं। इसी प्रकार हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 30.05.2017 को भी नक्शा दिया गया है जिसमें भी उक्त दोनो खसरों के बीच सड़क चलती है। इसके पश्चात दिनांक 19.09.2019 को भी पटवारी द्वारा जारी नक्शे में स्थिति यथावत कायम रही हैं। उक्त तीनों की नक्शों के आधार पर यह स्पष्ट हैं कि अपीलांट का ओरण की भूमि पर कब्जा नहीं है तथा न ही वह अतिक्रमी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में अपीलांट के आवासीय मकान आबादी से बाहर होने संबंधी कोई फाईंडिग नहीं दी हैं। अपीलांट के आवासीय मकान एवं आधिपत्य की निर्मित दुकानें आबादी भूमि से बाहर होकर गैर मुमकिन ओरण में होने के संबंध में कोई भू–माप, सीमा ज्ञान की रिपोर्ट, मौका फर्द साक्ष्य में रेकर्ड पर नहीं ली गई है, न ही अपीलाधीन आदेश में यह फाइन्डिंग दी गई है कि अपीलांट का कब्जा आबादी से बाहर ओरण में स्थित है। ऐसे में अपीलार्थी को गैर मुमकिन ओरण भूमि पर नाजायज अतिक्रमी घोषित किया जाना न्यायोचित होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट की ओर से जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया है कि अपीलांट के विरूद्ध हल्का पटवा[illegible] से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम नां[illegible] रकबा 02–02 बीघा किस्म गैर मुमकीन ओरण भूमि [illegible] बीघा पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है, इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर

संस्थित कर अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। उक्त अपीलाधीन भूखण्ड पर अपीलांट व उसके परिवार के सदस्य महज अतिक्रमी की हैसियत से काबिज हैं। पुराना कब्जा होने मात्र से गैर मुमकिन ओरण भूमि पर काबिज रहने के अधिकार अपीलांट को नहीं है। उक्त अतिक्रमण के संबंध में हलका पटवारी नांद की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर उस पर जुर्माना अधिरोपित करते हुए सरकारी भूमि से बेदखल करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया विधि अनुकूल एवं उचित है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

7. हमनें अपीलांट की अपील एवं राजकीय अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा अपने कब्जा व अधिपत्य को 50 वर्षों से पुराना गैर मुमकीन भूमि ओरण में न होकर गैर मुमकीन आबादी मे होना प्रकट किया है, किन्तु इस संबंध में अपीलांट ने अपने कब्जे का सीमाज्ञान एवं भू–माप का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अपीलांट ने इस अपील के द्वारा बार–बार हल्का पटवारी से प्राप्त नक्शा के आधार पर अपना कब्जा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में होने का कथन किया हैं। जबकि हल्का पटवारी द्वारा अपीलांट के कब्जे को रेकर्ड अनुसार गैर मुमकीन ओरण में होने से धारा 91 की रिपोर्ट प्रस्तुत कर राजकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने का निवेदन किया गया हैं। अपीलांट ने उक्त आबादी क्षेत्र से बाहर ओरण भूमि में कब्जा कर निर्माण किया है, जो इस आधार पर कतई विधिक नहीं ठहराया जा सकता कि कब्जा 50 वर्षों से पुराना है। अपीलांट इस अपील के द्वारा मुतनाजा सरकारी भूमि पर अपने हक–स्वामित्व साबित करने में विफल रहा हैं तथा बिना किसी ठोस साक्ष्य के अपीलांट की यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

अपील सारहीन व आधारहीन प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलाधीन कार्यवाही पूर्णतया विधिसम्मत प्रतीत होती है तथा इसमें किसी प्रकार कोई विधिक या वाक्याती त्रुटि कारित नही की गई है। फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम अपील सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक **31.07.2020** यथावत बहाल रखा जाकर पुष्ट किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाकर तहसीलदार बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुक्रम मे नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही शीघ्र सम्पन्न करावें।

9. निर्णय आज दिनांक **01.09.2021** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.09.06 12:34:20 IST
Reason: SelfAttested